



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

Regd. No. RJ. 2777/93  
RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 13, शनिवार, शाके 1918-अक्टूबर 5, 1996  
Asvina 13, Saturday, Saka 1918—October 5, 1996

भाग 4 ( ग )

उप-खण्ड ( I )

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये ( सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए ) सामान्य कानूनी निबन्ध ।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

विधि ( ग्रुप-2 ) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 5, 1996

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995

जी. एस. आर. 70.—विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का सं. 59) द्वारा यथा-संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात् इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 है ।

(2) ये नियम राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-

(क) "अधिनियम" से, समय-समय पर यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्या 39) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष या, यथास्थिति, ताल्लुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (ग) "जिला प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से, अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, अभिप्रेत है;
- (ङ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त राज्य प्राधिकरण का सदस्य या, यथास्थिति अभिप्रेत है;
- (च) "सचिव" से, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य-सचिव या, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 8-क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव या, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, अभिप्रेत है;
- (छ) "राज्य प्राधिकरण" से, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अभिप्रेत है;
- (ज) "ताल्लुक विधिक सेवा समिति" से, अधिनियम की धारा 11-क के अधीन गठित ताल्लुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;
- (झ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित सभी अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किये गये हैं ।

3. धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं:—(1) राज्य प्राधिकरण में सदस्यों की संख्या अठारह से अधिक नहीं होगी ।

(2) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे:—

- (i) राज्य के महाधिवक्ता;
- (ii) सचिव, वित्त विभाग;
- (iii) सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग;
- (iv) राज्य का पुलिस महानिदेशक;

- (v) निदेशक, समाज कल्याण विभाग;
- (iv) अध्यक्ष राज्य आयोग, अन्य पिछड़े वर्ग;
- (vii) अध्यक्ष, राज्य बार कौंसिल ।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप नियम (4) में विहित अनुभव और अर्हताएं रखने वालों में से अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(4) कोई भी व्यक्ति राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह:-

- (क) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण और शहरी मजदूर भी हैं, के उत्थान में लगा हुआ है, या
- (ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति, या
- (ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विशेषतया विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो ।

4. धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य.-राज्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव की शक्तियां और कृत्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगे :-

- (क) पात्र और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करना;
- (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों की रूपात्मकता का परिकलन और उनके दक्षतापूर्ण प्रबोधन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;
- (ग) राज्य सरकार में विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक, गृह व्यवस्था, वित्त और बजट मामलों के विषय में शक्तियों का प्रयोग करना;
- (घ) राज्य प्राधिकरण की सम्पत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबन्ध करना;
- (ङ) राज्य प्राधिकरण के सही और समुचित लेखों का रखरखाव जिसमें उनकी सावधिक जांच और संपरीक्षा भी सम्मिलित है;

- (च) उक्त प्राधिकरण की वार्षिक आय और व्यय का लेखा तथा तुलनपत्र तैयार करना;
- (छ) सामाजिक कार्य समूह और जिला और तालुका विधिक सेवा प्राधिकारियों से सम्पर्क करना;
- (ज) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिक सूचना, जिसमें समय-समय पर विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में की गई प्रगति भी सम्मिलित है, का रखरखाव;
- (झ) वित्तीय सहायता के प्रस्तावों की प्रक्रिया और उनके उपयोग प्रमाण-पत्रों को जारी करना;
- (ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित बैठकें, सेमिनार और कार्यशालाएं बुलाना और उन पर रिपोर्ट तैयार करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (ट) विधिक सेवा कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनसाधारण को सूचित करने के लिए विडियो/वृत्त चित्रों, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों को बनाना/प्रस्तुत करना;
- (ठ) ग्रामीण विवादों के समाधान पर जोर डालना और ग्रामीण लोगों के लिए उनके द्वार पर ग्रामीण विवादों को निपटाने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण विधिक सेवा की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त उपाय करना;
- (ड) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो कि अधिनियम की धारा-4 (ख) के अधीन प्रतिपादित स्कीमों के अधीन उसे सौंपी गई हैं;
- (ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राज्य प्राधिकरण के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए समीचीन हों।

5. धारा 6 की उप-धारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधि और उनसे सम्बन्धित अन्य शर्तें.- (1) राज्य सरकार द्वारा नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य दो वर्ष की अवधि तक रहेंगे और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे।

(2) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा यदि राज्य सरकार की राय में उसे सदस्य के रूप में बनाया रखा जाना वांछनीय न हो।



(3) यदि नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, किसी भी कारण से राज्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति उसी रीति के अनुसार भरी जायेगी जिससे मूल निर्देशन हुआ हो और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य की शेष अवधि के लिए सदस्य बना रहेगा, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट सभी सदस्य, राज्य प्राधिकरण के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्रा के लिए यात्रा-भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे और राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार, जो ग्रेड "ए" के अधिकारियों पर लागू हों, संदत्त किये जायेंगे।

(5) यदि नामनिर्दिष्ट सदस्य सरकारी कर्मचारी है, तो वह यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के केवल एक ही सैट, या तो अपने मूल विभाग से या, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण से लेने का हकदार होगा।

(6) राज्य प्राधिकरण का सदस्य सचिव, पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(7) सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्ते फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में सदस्य सचिव, राज्य सरकार के नियमों द्वारा शासित होगा और वह राज्य प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर होगा।

6. धारा 6 की उप-धारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या.-राज्य प्राधिकरण में सचिवीय सहायता के लिए और दैनिक कृत्यों के लिए इतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे जो इन नियमों की अनुसूची में दिये जायें या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।

7. धारा 6 की उप-धारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन तथा भत्ते.- (1) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) सेवानिवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और

अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं ।

(3) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और फायदों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जायें ।

8. धारा 8-क की उप-धारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं :-कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह उच्च न्यायालय का उप रजिस्ट्रार की रैंक से अनिम्न कोई अधिकारी न हो ।

9. धारा 8-क की उप-धारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उप-धारा (6) के अधीन उनकी सेवा की शर्तें तथा उन्हें संदेय वेतन और भत्ते:-(1) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता के लिए और उसके दैनिक कृत्यों के लिए इतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे जो इन नियमों की अनुसूची में दिये जायें या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें ।

(2) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे ।

(3) सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं ।

(4) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और फायदों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें ।

स्पष्टीकरण:-राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के लिए पृथक् उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति भी गठित जा सकेगी ।

10. धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं :- (1) जिला प्राधिकरण में ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) जिला प्राधिकरण के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट;
- (ii) पुलिस अधीक्षक;
- (iii) न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, यदि कोई हो;
- (iv) न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, यदि कोई हो;
- (v) न्यायाधीश, श्रम न्यायालय/न्यायाधीश औद्योगिक अधिकरण, यदि कोई हो;
- (vi) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;
- (vii) अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन; और
- (viii) जिला सरकारी अभिवक्ता।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप नियम (4) में विहित अर्हता और अनुभव रखने वालों में से अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति जिला प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह,-

- (क) कोई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण मजदूर भी शामिल हैं के उत्थान में लगा है;
- (ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति; या
- (ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

11. धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या :- जिला प्राधिकरण में सचिवीय सहायता के लिए और उसके दैनिक कृत्यों के लिए इतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे जो इन नियमों की अनुसूची में दिये जायें या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जायें।



12. धारा 9 की उप-धारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतन तथा भत्ते:- (1) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

(3) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों और फायदों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जायें।

13. धारा 11-क की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन ताल्लुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं:- (1) ताल्लुक विधिक सेवा समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के पदेन सदस्य निम्नलिखित होंगे :-

- (i) उपखण्ड अधिकारी;
- (ii) उपखण्ड पुलिस अधिकारी;
- (iii) अध्यक्ष, स्थानीय बार एसोसिएशन।

(3) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से इस नियम के उप-नियम (4) में विहित अर्हता और अनुभव रखने वालों में से अन्य सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति ताल्लुक विधिक सेवा समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह-

- (क) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,



महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण मजदूर भी हैं, के उत्थान में लगा है; या  
(ख) विधि के क्षेत्र में कोई विख्यात व्यक्ति; या

(ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विधिक सेवा स्कीमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

14. धारा 11-क की उप-धारा (3) के अधीन ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या:-ताल्लुक विधिक सेवा समिति में सचिवीय सहायता के लिए और उसके दैनिक कृत्यों के लिए इतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी होंगे जो इन नियमों की अनुसूची में दिये जायें या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जायें।

15. धारा 11-क की उप-धारा (4) के अधीन ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और वेतन तथा भत्ते:- (1) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इन नियमों की अनुसूची में प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित वेतनमान में समतुल्य पदों को धारण करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(2) सेवा निवृत्ति की आयु, वेतन और भत्तों, फायदों और हकदारियों जैसे समस्त विषयों और अनुशासनात्मक विषयों में ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के उन नियमों द्वारा शासित होंगे जो समतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

(3) ताल्लुक विधिक सेवा समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसी अन्य सुविधाओं, भत्तों, और फायदों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किये जायें।

16. किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की उच्च सीमा जो उसे धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार बनाती है, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है:-भारत का कोई भी नागरिक जिसकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 15000/-रुपय (पन्द्रह हजार रुपये) या ऐसी उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचति की जाये, से अधिक नहीं है, अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए हकदार होगा।

17. धारा 10 की उप-धारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं:-कोई व्यक्ति लोक अदालत की न्यायपीठ में सम्मिलित किये जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह,-

- (क) कोई विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि समाज के कमजोर वर्गों, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे ग्रामीण और शहरी मजदूर भी हैं, के उत्थान में लगा हुआ है; या
- (ख) कोई प्रतिष्ठित वकील; या
- (ग) कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो विशेषतया विधिक सेवा स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में हितबद्ध हो।

18. विधिक सहायता बोर्ड की आस्तियों का अन्तरण:- (1) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन पर,-

- (i) राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड विघटित हो जायेगी;
- (ii) उक्त बोर्ड से सम्बन्धित सभी स्थावर और जंगम सम्पत्ति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निहित होगी और इसे प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा अधिनियम, 1987 और तद्धीन बनाए गए नियमों के उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उपयोजित किया जायेगा;
- (iii) बोर्ड के सभी ऋण और दायित्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और तत्पश्चात् उसके द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से उन्मोचित और चुकाए जायेंगे।

(2) उच्च न्यायालय, जिला और ताल्लुक स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों के गठन पर निरसित नियमों के अधीन गठित विधिक सेवा समितियों की सभी सम्पत्तियां और आस्तियां इन नियमों के अधीन गठित तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरणों/समितियों को अन्तरित और निहित हो जायेंगी।

19. अस्थायी उपबन्ध:- (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राजस्थान विधिक सहायता नियम, 1984 के अधीन गठित विद्यमान विधिक सहायता बोर्ड और समितियां तब तक कार्य करती रहेंगी जब तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय सेवा समिति, जिला विधिक सेवा

प्राधिकरणों और ताल्लुक विधिक सेवा समितियों का इन नियमों के अधीन गठन नहीं कर दिया जाता।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व नियम 21 के उप-नियम (1) के अधीन निरसित नियमों द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों और प्राधिकार के प्रयोग या तात्पर्यत प्रयोग में राजस्थान विधिक सेवा बोर्ड या किन्हीं विधिक समितियों में से किसी के भी द्वारा की गयी कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत स्वीकृत आवेदन या दी गयी सहायता भी है) विधिमान्य रूप से की गयी समझी जायेगी, मानों इन नियमों के उपबन्ध सभी महत्वपूर्ण समयों पर प्रवृत्त थे और तदनुसार उक्त राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड या विधिक सहायता समितियों में से किसी एक द्वारा की गयी बात या कार्रवाई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या, यथास्थिति, तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति द्वारा की गयी समझी जायेगी।

20. सेवाओं का अन्तरण.—इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राजस्थान विधिक सहायता बोर्ड या उसकी समिति का उक्त बोर्ड/समिति के नियोजनाधीन प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी उस तारीख से ही जिसको ये नियम प्रवृत्त हों, राज्य विधिक सहायता बोर्ड के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का और विधिक सहायता समितियों के मामले में तत्स्थानी विधिक सेवा प्राधिकरण/समिति का अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जायेगा और उसकी सेवाएं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इन नियमों की अनुसूची या किसी भी अन्य प्रशासनिक अति-आवश्यकता के अधीन स्टाफ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी विधिक सेवा प्राधिकरण/विधिक सेवा समिति को अन्तरित किये जाने के दायित्वाधीन होंगी।

21. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) नियम 19 और 20 के अध्याधीन रहते हुए राजस्थान विधिक सहायता नियम, 1984 को, इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई या जारी किया गया कोई आदेश या अनुदेश इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया समझा जायेगा मानों ये नियम उस दिन प्रवृत्त थे जिसको ऐसी बात या कार्रवाई की गयी थी या ऐसे आदेश या अनुदेश जारी किये गये थे।



अनुसूची

[कृपया नियम 6, 7, 9 (1) और (2), 11, 12 (1), 14 और 15(1) देखिए]

क-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	आपेक्षित पदों की संख्या	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	सचिव	सामान्य या चयनित वेतनमान 5100-6300/5900-6700 (वेतनमान सं. 26/27) के जिला न्यायाधीश	1	1. कानूनी पद
2.	उप सचिव	वेतनमान 3000-4500/3700-5000 के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	2	2. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव के कार्यालय, जोधपुर में स्टेनो-1, वरिष्ठ लिपिक-1, कनिष्ठ लिपिक-2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-2 की आवश्यकता होगी।
3.	कार्यकारी अध्यक्ष का निजी सचिव	2000-3500	1	3. कार्यकारी अध्यक्ष के लिए एक निजी सचिव की आवश्यकता होगी।
4.	निजी सहायक/ स्टेनो	1400-2600	3	—
5.	कार्यालय सहायक	1400-2600	1	4. शेष स्टाफ की आवश्यकता जयपुर के मुख्य सचिव के कार्यालय के लिए होगी।

6.	कनिष्ठ लेखाकार	1400-2600	1	सिवाय एक निजी सचिव और एक कार्यालय सहायक के शेष स्टाफ इस कार्यालय में पहल से ही विद्यमान है।
7.	वरिष्ठ लिपिक	1200-2050	3	
8.	कनिष्ठ लिपिक	950-1680	7	
9.	ड्राइवर	950-1680	2	
10.	मशीनमैन	800-1250	1	
11.	साइकिल सवार	750-940	1	
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	8	

## अनुसूची

[कृपया नियम 6, 7, 9 (1) और (2), 11, 12 (1), 14 और 15(1) देखिए]

## ख-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	अपेक्षित पदों की संख्या	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ लिपिक	1200-2050	33	1. जयपुर शहर में मुख्यालय पर 43 न्यायिक न्यायालय हैं। इनमें वरिष्ठ लिपिक-2, कनिष्ठ लिपिक-6,
2.	कनिष्ठ लिपिक	950-1680	84	आदेशिका तामीलकर्ता-6, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-4 की आवश्यकता होगी।
3.	आदेशिका तामीलकर्ता	750-940	84	
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	51	

1	2	3	4	5
				<p>2. अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर जिला, कोटा, उदयपुर जजों के मुख्यालयों पर 10 से 20 तक न्यायिक न्यायालय हैं। इन जिलों में वरिष्ठ लिपिक-1, कनिष्ठ लिपिक-4, आदेशिका तामीलकर्ता-4, चतुर्थ श्रेणी-कर्मचारी-3 की आवश्यकता होगी।</p> <p>3. 10 न्यायिक न्यायालयों वाले शेप 23 जिला मुख्यालयों के लिए वरिष्ठ लिपिक -1, कनिष्ठ लिपिक -2, आदेशिका तामीलकर्ता-2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1 की आवश्यकता होगी।</p>

### अनुसूची

[कृपया नियम 6, 7, 9 (1) और (2), 11, 12 (1), 14 और 15(1) देखिए]

### ग-उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	अपेक्षित पदों की संख्या	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	वरिष्ठ लिपिक	1200-2050	2	नियम 9 के अधीन उच्च न्यायालय
2.	कनिष्ठ लिपिक	950-1680	4	विधिक सेवा समिति का कार्यालय



3.	आदेशिका तामीलकर्ता	750-940	2	राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तथा जयपुर पीठ, जयपुर में होगा। प्रत्येक कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक-1, कनिष्ठ लिपिक-2, आदेशिका तामीलकर्ता-1,
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-1 होगा।

### अनुसूची

[कृपया नियम 6, 7, 9 (1) और (2), 11, 12 (1), 14 और 15(1) देखिए]

### घ-ताल्लुक विधिक सेवा समिति

क्र.सं.	पद नाम	वेतनमान	अपेक्षित पदों की संख्या	कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ लिपिक	950-1680	120	60 उप-खण्ड मुख्यालयों में प्रत्येक के लिए, कनिष्ठ लिपिक-2, आदेशिका तामीलकर्ता-2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी--2 की आवश्यकता होगी।
2.	आदेशिका तामीलकर्ता	750-940	120	यह स्टाफ मुख्यालयों के बाहर उप-खण्ड के उन
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	750-940	120	स्थानों के लिए भी कार्य करेगा जहां न्यायालय हों।

[ संख्या एफ. 8 ( 1 ) विधि-2/95 ]

जगत सिंह,  
शासन सचिव,  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

**LAW AND LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT  
LAW (Gr. 2) DEPARTMENT**

**Notification**

**Jaipur, August 6, 1996**

**THE RAJASTHAN LEGAL SERVICES AUTHORITY  
RULES, 1995**

**G. S. R. 70.**—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987), as amended by the Legal Services authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the Government of Rajasthan after consultation with the Chief Justice of the High Court hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called "The Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995".

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these Rules unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended from time to time;
- (b) "Chairman" means the executive Chairman of the State Authority, or, as the case may be, the Chairman of the Taluk Legal Services Committee;
- (c) "District Authority" means the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;
- (d) "High Court Legal Services Committee" means a High Court Legal Services Committee constituted under Section 8A of the Act;
- (e) "Member" means the member of the State Authority appointed under clause (c) of Sub-section (2) of Section 6 of the Act, or as the case may be;
- (f) "Secretary" means the Member-Secretary of the State Legal Services Authority constituted under

Section 6 of the Act or, as the case may be, the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted under Section 8A of the Act, or as the case may be, the Secretary of the District Legal Services Authority constituted under Section 9 of the Act;

- (g) "State Authority" means the State Legal Services Authority constituted under Section 6 of the Act;
- (h) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted under Section 11A of the Act;
- (i) all other words and expressions used in these Rules but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. The number, experience and qualifications of other members of the State Authority under clause (c) of sub-section (2) of section 6.—(1) The State Authority shall have not more than eighteen members.

(2) The following shall be ex-officio members of the State Authority:—

- (i) Advocate General of the State;
- (ii) the Secretary in the Department of Finance;
- (iii) the Secretary in the Department of Law and Legal Affairs;
- (iv) the Director General of Police of the State;
- (v) Director, Social Welfare Rajasthan;
- (vi) Chairman State Commission for Other Back-ward Classes;
- (vii) Chairman State Bar Council;

(3) The State Government may nominate in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the experience and qualifications prescribed in sub-rule (4) of this rule.



(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the State Authority unless he is—

- (a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, children, rural and urban labour; or
- (b) an eminent person in the field of law; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

4. **The powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority under sub-Section (3) of Section 6.—** The powers and functions of the Member-Secretary of the State Authority, *inter alia*, shall be—

- (a) to give free legal services to the eligible and weaker sections;
- (b) to work out modalities of the Legal Services Schemes and programmes approved by the State Authority and ensure their effective monitoring and implementation;
- (c) to exercise the powers in respect of Administrative; House-keeping, Finance and Budget matters as Head of the Department in the State Government;
- (d) to manage the properties, records and funds of the State Authority;
- (e) to maintain true and proper accounts of the State Authority including checking and auditing in respect thereof periodically;
- (f) to prepare Annual Income and Expenditure Account and Balance-Sheet of the said Authority;
- (g) to liaise with the Social Action Groups and District and Taluk Legal Services Authorities;
- (h) to maintain upto date and complete statistical information including progress made in the implementation of various Legal Services Programmes from time to time;

- (i) to process proposals for financial assistance and issue Utilisation Certificates thereof;
- ✓ (j) to organise various Legal Services programmes as approved by the State Authority and convene Meetings/Seminars and workshops connected with Legal Services Programmes and preparation of Reports and follow-up action thereon;
- ✓ (k) to produce video/documentary films, publicity Material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Legal Services Programmes;
- (l) to lay stress on the resolution of Rural Disputes and to take extra measures to draw schemes for effective and meaningful legal services for settling Rural Disputes at the door-steps of the rural people;
- (m) to perform such of the functions as are assigned to him under the Schemes formulated under Section 4(b) of the Act; and
- (n) to perform such other functions as may be expedient for efficient functioning of the State Authority.

5. The terms of office and other conditions relating thereto, of members and Member-Secretary of the State Authority under sub-section (4) of Section 6.—(1) The members of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 by the State Government shall continue for a term of two years and shall be eligible for renomination.

(2) A member of the State Authority nominated under sub-rule (3) of rule 3 may be removed by the State Government if in the opinion of the state Government, it is not desirable to continue him as a member.

(3) If any member nominated under sub-rule (3) of rule 3 ceases to be a member of the State Authority for any reason, the vacancy shall be filled up in the same manner as the original nomination and the person so nominated shall



continue to be a member for the remaining term of the member in whose place he is nominated.

(4) All members nominated under sub-rule (3) of rule 3 shall be entitled to payment of travelling allowance and daily allowance in respect of journeys performed in connection with the work of the State Authority and shall be paid by the State Authority in accordance with the rules as are applicable to the Grade 'A' officers, as amended from time to time.

(5) If the nominated member is a Government employee, he shall be entitled to only one set of travelling allowance and daily allowance either from his parent department, or, as the case may be from the State Authority.

(6) The Member-Secretary of the State Authority shall be the whole time employee and shall hold office for a term not exceeding five years.

(7) In all matters like age of retirement; pay and allowances; benefits and entitlements; and disciplinary matters, the Member-Secretary shall be governed by the State Government Rules and he shall be on deputation to the State Authority.

6. The number of officers and other employees of the State Authority under sub-section (5) of Section 6.—The State Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule to these rules or as may be notified by the State Government from time to time.

7. The conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the State Authority under sub-section (6) of Section 6.—(1) The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in the Schedule to these rules of at par with the State government employees holding equivalent posts;

(2) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters,



the officers and other employees of the State Authority shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the State Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

8. The experience and qualifications of Secretary of the High Court Legal Services Committee under sub-section (3) of Section 8A.—A person shall not be qualified for appointment as Secretary of the High Court Legal Services Committee unless he is an officer of the High Court not below the rank of Deputy Registrar.

9. The number of officers and other employees of the High Court Legal Services Committee under sub-Section (5) of section 8A and the conditions of service and the salary and allowances payable to them under sub-section (6) of that section.—(1) The High Court Legal Services Committee shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule to these rules or as may be notified by the State Government from time to time.

(2) The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in the Schedule to these Rules or at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(3) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(4) The officers and other employees of the High Court Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

**Explanation:—**Separate High Court Legal Services Committee may also be constituted for Rajasthan High Court, Jaipur Bench, Jaipur.

10. The number, experience and qualifications of Members of the District Authority under clause (b) of sub-section (2) of Section 9.—(1) The District Authority shall have not more than eleven members.

(2) The following shall be *ex-officio* members of the District Authority:—

- (i) District Magistrate;
- (ii) Superintendent of Police;
- (iii) Judge, Family Court, if any,
- (iv) Judge, Motor Accidents Claims Tribunal, if any;
- (v) Judge, Labour Court/Judge Industrial, Tribunal, if any;
- (vi) Chief Judicial Magistrate;
- (vii) President, District Bar Association; and
- (viii) District Government Pleader.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule.

(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the District Authority unless he is—

- (a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labour;
- (b) an eminent person in the field of law; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

11. The number of officers and other employees of the District Authority under sub-section (5) of Section 9.—The District Authority shall have such number of officers and



other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule to these Rules or as may be notified by the State Government from time to time.

12. The conditions of service and the salary and allowances of the officers and other employees of the District Authority under sub-section (6) of section 9.—(1) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated each against post in the Schedule to these Rules or at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the District Authority shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the District Authority shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

13. The number, experience and qualifications of members of the Taluk Legal Services Committees under clause (b) of sub-section (2) of Section 11A.—(1) The Taluk Legal Services Committee shall have not more than seven members.

(2) The following shall be *ex-officio* members of the Taluk Legal Services Committee:—

- (i) Sub-Divisional Officer;
- (ii) Sub-Divisional Police Officer;
- (iii) President of the Local Bar Association.

(3) The State Government may nominate, in consultation with the Chief Justice of the High Court, other members from amongst those possessing the qualifications and experience prescribed in sub-rule (4) of this rule.



(4) A person shall not be qualified for nomination as a member of the Taluk Legal Services Committee unless he is—

- (a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children and rural labour; or
- (b) an eminent person in the field of law; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes.

14. The number of officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee under sub-section (3) of section 11A.—The Taluk Legal Services Committee shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day-to-day functions as are set out in Schedule to those rules or as may be notified by the State Government from time to time.

15. The conditions of service and the salary and allowances of officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee under sub-section (4) of Section 11A.—(1) The officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall be entitled to draw pay and allowances in the scale of pay indicated against each post in the Schedule to these rules or at par with the State Government employees holding equivalent posts.

(2) In all matters like age of retirement, pay and allowances, benefits and entitlements and disciplinary matters, the officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall be governed by the State Government Rules as are applicable to persons holding equivalent posts.

(3) The officers and other employees of the Taluk Legal Services Committee shall be entitled to such other facilities, allowances and benefits as may be notified by the State Government from time to time.

16. The upper limit of annual income of a person entitling him to legal services under clause (h) of section

12, if the case is before a Court, other than the Supreme Court.—Any citizen of India whose annual income from all sources does not exceed Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) or such higher amount as may be notified by the State Government from time to time, shall be entitled to legal services under clause (h) of section 12 of the Act.

17. The experience and qualifications of other persons of the Lok Adalats other than referred to in sub-section (4) of section 19.—A person shall not be qualified to be included in the Bench of Lok Adalat unless he is—

- (a) an eminent Social Worker who is engaged in the upliftment of the weaker sections of the people, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Women, Children, rural and urban labour; or
- (b) a lawyer of standing; or
- (c) a person of repute who is specially interested in the implementation of the Legal Services Schemes and Programmes.

18. Transfer of assets of Legal Aid Board.—(1) Upon the constitution of the State Legal Services Authority—

- (i) the Rajasthan Legal Aid Board shall stand dissolved;
- (ii) all property, movable or immovable, belonging to the said Board shall vest in the State Legal Services Authority and shall be applied by the Authority to the objects and purposes of the Legal Services Act, 1987 and the rules framed thereunder;
- (iii) all the debts and liabilities of the Board shall be transferred to the State Legal Services Authority and shall thereafter be discharged and satisfied by it out of the aforesaid property.

(2) Upon the constitution of Legal Services Authorities/Committees at High Court, District and Taluk Level, all properties and assets of the Legal Aid Committees constituted under the repealed rules shall stand transferred and vested in the corresponding Legal Services Authorities/Committees constituted under these rules.

19. Transitory Provisions.—(1) Notwithstanding anything contained in these rules, the existing Legal Aid Board



and Committees constituted under the Rajasthan Legal Aid Rules, 1984 shall continue to function till the State Legal Services Authority, the High Court Legal Services Committee, the District Legal Services Authorities and the Taluk Legal Services Committees are constituted under these rules.

(2) Anything done or any action taken (including applications admitted or legal aid granted) by the Rajasthan Legal Aid Board or any of the Legal Aid Committees, immediately before the commencement of these rules in the exercise or purported exercise of its powers and authority conferred by or under the rules repealed under sub-rule (1) of rule 21 shall be deemed to have been validly done or taken as if the provisions of these rules, had been in force at all material times and, accordingly, anything done or any action taken by the said Rajasthan Legal Aid Board or any of the Legal Aid Committee shall be deemed to have been done or taken by the State Legal Services Authority, or as the case may be, by the corresponding Legal Services Authority/Committee.

**20. Transfer of Services.**—Every officer or other employee of the Rajasthan Legal Aid Board or its Committee, in the employment of the said Board/Committee, immediately before the commencement of these rules, shall on and from the date on which, these rules come into force, become the Officer or other employee of the State Legal Services Authority, in the case of State Legal Aid Board, and of the Corresponding Legal Services Authority/Committee in the case of Legal Aid Committees; and their Services shall be liable to be transferred to any Legal Services Authority/Legal Services Committee by the State Legal Services Authority in view of the requirement of the staff under the Schedule to these rules or any other administrative exigency.

**21. Repeal and savings.**—(1) Subject to the provisions of rules 19 and 20, the Rajasthan Legal Aid Rules, 1984 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), anything done or any action taken or orders or directions issued under the repealed rules shall be deemed to have been done or taken or issued under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or action was taken or such order or direction was issued.



## SCHEDULE

[Please refer to rules 6,7,9(1) & (2), 11, 12 (1), 14 & 15 (1)]

### A—STATE LEGAL SERVICE AUTHORITY.

S.No.	Nomenclature of the post	Scale of Pay	Number of posts required	Job description
1	2	3	4	5
1.	Secretary	District Judge Pay Scale 5100-6300 or 5900 to 6700 Pay Scale No. 26 or 27	1	Statutory
2.	Dy. Secretary	Scale of the Chief Judicial Magistrate/Addl. Chief Judicial Magistrate of Pay Scale 3000-4500/3700-5000.	2	1. Office of the Dy. Secretary to the State Legal Services Authority at Jodhpur shall need Steno-1, UDC-1, LDC-2, IV Class-2.
3.	Private Secretary to Executive Chairman	2500-4250	1	2. One Private Secretary shall be needed for the Executive Chairman
4.	P.A./Steno	1400-2600	3	
5.	Office Assistant	1400-2600	1	3. Rest of the staff shall be needed for the office of the Member Secretary at Jaipur.

1	2	3	4	6
6.	Jr Accountant	1400-2600	1	
7.	U.D.C.	1200-2050	3	4. Except one Private
8.	L. D. C.	950-1680	7	Secretary and one Office
9.	Driver	950-1680	2	Assistant rest of the staff is
10.	Machineman	800-1250	1	already existing with this
11.	Cycle Rider	750-940	1	office.
12.	IV Class	750-940	8	

### SCHEDULE

[Please refer to rules 6,7,9(1) & (2), 11, 12 (1), 14 & 15 (1)]

#### B—DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY.

S.No.	Nomenclature of the post.	Scale of Pay	Number of posts required	Job description
1	2	3	4	5
1.	Uper Divisional Clerk	1200-2050	33	1. Jaipur City is having 43
2.	Lower Divisional Clerk	950-1680	84	Judicial Courts at the Head
3.	Process Server	750-940	84	Quarter. It shall need
4.	IVth Class	750-940	51	U.D.C.-2, L.D.C.-6, Process Server-6, IV Class-4.
				2. Ajmer, Alwar, Bikaner, Bharatpur, Jodhpur, Jaipur District, Kota, Udaipur Judgship are having more than 10 to 20 Judicial Courts

1	2	3	4	5
				at the Head Quarter. These district shall need U.D.C.-1, L.D.C.-4, Process Server-4, IV Class-3.
				3. Rest of the 23 district Head Quarter having upto 10 Judicial Courts, shall need U.D.C.-1, L.D.C.-2, Process Server-2, IV Class-1.

### SCHEDULE

[Please refer to rules 6,7,9(1) & (2), 11, 12 (1), 14 & 15-(1)]

#### C—HIGH COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE.

S.No.	Nomenclature of the post.	Scale of Pay	Number of posts required	Job description
1	2	3	4	5
1.	Uper Divisional Clerk	1200-2050	2	Under Rule 9 Office of the High Court Legal Services Committee shall be at the Rajasthan High Court at Jodhpur as well as at Jaipur Bench, Jaipur. Each office shall have U.D.C.-1, L.D.C.-2, Process Server-1, IV Class-1.
2.	Lower Divisional Clerk	950-1680	4	
3.	Process Server	750-940	2	
4.	IV Class	750-940	2	



**SCHEDULE**

[Please refer to rules 6,7,9(1) &amp; (2), 11, 12 (1), 14 &amp; 15 (1)]

**D—TALUKA COURT LEGAL SERVICE COMMITTEE.**

S.No.	Nomenclature of the post.	Scale of Pay	Number of Posts required	Job Description
1	2	3	4	5
1.	Lower Divisional Clerk	950-1680	120	For 60 Sub-Divisional Head
2.	Process Server	750-940	120	Quarters, each shall need
4.	IV Class	750-940	120	L.D.C.-2, Process Server-2, IV Class-2. This staff shall also work for those places of the Sub-Division outside Head Quarter Having Courts.

[No. F. 8 (1) Law-2/95]

जगत सिंह,

Secretary to the Government,  
Law and Legal Affairs Department.*Government Central Press, Jaipur.*